

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी
तहसीलदार रायपुर जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

- उदयसिंह पुत्र पहाड सिंह के का.मु.-
1. कंकु पत्नी उदयसिंह ,
 2. लक्ष्मण पुत्र उदयसिंह ,
 3. गणेशसिंह पुत्र उदयसिंह ,
 4. चमनसिंह पुत्र उदयसिंह जातिगण रावत निवासीगण सीरमा तहसील रायपुर जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध प्रकरण संख्या 128 / 2022

(जी0सी0एम0एस0 -2022/262)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14(4) राज0 भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन)
नियम 1970

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-09-22	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर भू आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक 591-592 दिनांक 20.06.1978 द्वारा उदयसिंह पुत्र पहाड सिंह के पक्ष में आंवटित ग्राम सीरमा के खसरा नम्बर 2528 रकबा 10.18 बीघा भूमि के आंवटन आदेश को निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 02.11.22 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	906 8/9/22
2-11-22	<p>अप्रार्थी संख्या 4 उपस्थित।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का उक्त प्रकरण में प्रश्नगर्भ शक्ति पर कोई कब्जा नहीं है न ही हमारे आचेकार में है अगर सरकार उक्त शक्ति अपने कब्जे में लेगी है तो हमें कोई हस्तान्त नहीं है।</p> <p>अतः अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र व रिकॉर्ड का अवलोकन के पश्चात उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश दिनांक 20.6.1978 को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेंसल शुरु कर देकर व्यापारिक नम्बर से कम है।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	चिमनसिंह